उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण आदेशों की पर्याप्त संख्या में कमी है और अन्य मुख्य कारण हैं कच्चे माल की कमी/अनुपलब्धता, विद्युत की कमी, कार्यचालन पूंजी/नकदी संबंधी कठिनाईयां संयंत्र एवं मशीनरी में खराबी आना और कम उत्पादकता। सरकारी क्षेत्र के 14 उपक्रमों ने सूचित किया है कि वर्ष 1991-92, जिस वर्ष की नवीनतम जानकारी उपलब्ध है, के दौरान आदेशों की पर्याप्त संख्या में कमी होने के कारण उनकी क्षमता उपयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। इस मामले से निपटने के लिए सरकारी क्षेत्रों के संबद्ध उपक्रमों के प्रबन्धनों द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र की कम अधिष्ठापित क्षमता के कारण प्रभावित हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

1. दामोदर सीमेंट एंड स्टील लि.
2. बिज़ एंड कंपनी (इंडिया) लि.
3. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
4. माझगांव डाक लि.
5. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
6. भारत अर्थ मूवर्स लि.
7. हस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कंपनी लि.
8. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.
9. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
10. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स लि.
11. प्राग टूल्स लि.
12. मिश्र धातु निगम लि.
13. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
14. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.

खादी ग्रामोद्योग से ऋण लेने वाली संस्थाएं

2183. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग से ऋण लेने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) सरकार ने उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिनका गठन नियमों के विरुद्ध किया गया था ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से लिए गए ऋण/अनुदान का दुरुपयोग किए जाने के बारे में जब कभी भी किसी संस्थान के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायतें मिलती हैं तो उनमें लगाए गए आरोपों की जांच की जाती है।

उदारीकरण-नीति

2184. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुनिया भर में उदारीकरण के शुरू हुए दौर का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उन सभी देशों ने, जिन्होंने उदारीकरण की नीति को अपनाया है, ऐसे उद्योगों को अनुमति दी है जो उद्योग पहले वहां विद्यमान नहीं थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में सभी लाइसेंस उन उद्योगों को दिये गये हैं जो देश में पहले से विद्यमान थे;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कौन-कौन से उद्योग देश में विद्यमान नहीं थे;

(च) क्या सरकार भविष्य में केवल उन उद्योगों को अनुमति देने पर विचार कर रही है जो देश में विद्यमान नहीं है; और

(छ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) चुनिन्दा एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी पर्यावरण का एक व्यापक अध्ययन 1992 में किया गया था।

(घ) से (छ) औद्योगिक लाइसेंस उन उद्योगों के संबंध में दिये जाते हैं जो उद्योग (विकसित तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित हैं तथा जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसीकरण से छूट नहीं दी गई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में बदलते हुये औद्योगिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये, लाइसेंसीकरण संबंधी नीति और प्रक्रियाओं का समय-समय पर उदारीकरण किया गया है। औद्योगिक नीति, 1991 के वक्तव्य में, अनुबंध-2 में विनिर्दिष्ट उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिये लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है, चाहे उनमें कितना ही निवेश निहित हो। यह प्रक्रिया में एक बड़ा परिवर्तन है जो क्षमता के लाइसेंसीकरण की अवधारणा से भिन्न है।

वर्ष 1990, 1991, 1992 और 1993 (जून तक) के दौरान जारी किये गये आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या